झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
द्वादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 29.01.2018 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री अमित कुमार स0वि0स0	झारखण्ड राज्य के विधायकों को प्रतिवर्ष 15 कि0मी0 ग्रामीण सड़क निर्माण एवं एक पुल निर्माण हेतु अनुशंसा करने का अधिकार दिया गया है। चूँकि जनप्रतिनिधि क्षेत्र की स्थिति से भली-भाँति परिचित रहते है। विधान सभा क्षेत्र काफी बड़ा होने के कारण ये सभी क्षेत्रों तक सड़क एवं पुल निर्माण की अनुशंसा नहीं कर सकते है जिस कारण विकास एवं निर्माण कार्य प्रभावित होता है। इनके द्वारा पाँच वर्षो में सिर्फ 75 कि0मी0 सड़क एवं पाँच पुल के निर्माण हेतु अनुशंसा किया जा सकता है। अतः उक्त विषय पर जनप्रतिनिधियों द्वारा सड़क एवं पुलों के निर्माण हेतु विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार अनुशंसा का अधिकार देने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ ताकि राज्य का समग्र विकास हो सके।	ग्रामीण विकास
02-	सर्वश्री दशरथ गागराई, निरल पुरती एवं श्री, जय प्रकाश भाई पटेल स0वि0स0	सरायकेला-खरसावाँ जिला के मुड़िया मौजा में स्टील स्ट्रीप व्हील्स लिमिटेड नामक रोलिंग मिल की स्थापना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं किया गया है। यह प्लांट घनी आबादी	उद्योग खान एवं भूतत्व

01.	02.	03.	04.
		क्षेत्र में स्थापित किया गया है जबकि घनी आबादी एवं राज्य सड़क मार्ग से 200 मीटर का परिधि में किसी भी परिस्थिति में ऐसे औद्योगिक इकाईयों को संचालित करने हेतु अनुमति नहीं दिया जा सकता है। इसके चालु होने से आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण की विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके अलावे इस औद्योगिक इकाई में भूजल का प्रयोग औद्योगिक कार्य में लाया जा रहा है, जबकि इसके लिए केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकार दिल्ली की अनुमति नहीं ली गयी है। उपरोक्त औद्योगिक इकाई द्वारा भूजल के प्रयोग से आस-पास के क्षेत्र में भू-जल का स्तर काफी नीचे चला गया है और गर्मी के दिनों में पेयजल की किल्लत हो जाती है। अतएव व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ऐसे खतरनाक औद्योगिक इकाईयों को स्थापना अनुमति नहीं देने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं।	
03-	श्री अनन्त कुमार ओझा स०वि०स०	साहेबगंज जिला के शहरी क्षेत्र अन्तर्गत कुल रकवा 1421 एकड़ भूमि खासमहाल के अन्तर्गत आता है, जिसे समाप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर आजादी के बाद से ही माँग की जा रही है। यह खासमहाल पूर्व से स्थापित ब्रिट्रिश शासन द्वारा यहाँ के आमजनों पर काला कानून थोपी गयी है, जिससे कि यहाँ निवास करने वाले को रैयती भूमि का दर्जा न मिल सके। पूर्व में सरकार अपने स्तर और विधान सभा की समिति-उपसमिति के जाँच प्रतिवेदन में भी जिक्र किया है कि साहेबगंज शहरी क्षेत्र की भूमि खासमहाल नहीं है और इससे जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य भी प्रस्तुत किये जा चुकें है। साथ ही इस व्यवस्था को समाप्त नहीं होने के कारण राज्य की आजादी से लेकर अबतक अरबो रूपये की राजस्व की क्षति उठानी पड़ी है,	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		जिसके समाप्त होने पर राजस्व में भी वृद्धि होगी। अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह माँग करता हूँ कि उपर्युक्त संवेदनशील तथ्यों पर विचार करते हुए सरकार साहेबगंज जिला के शहरी क्षेत्र अन्तर्गत भूमि से खासमहाल समाप्त कर स्थानीय आमजन को रैयती भूमि का दर्जा दिलाये, जिस ओर मैं ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	
04-	श्री हरिकृष्ण सिंह एवं श्री बिरंची नारायन स०वि०स०,	प्रभात खबर अखबार के 18 जनवरी, 2018 के अंक में प्रकाशित समाचार "डीसी ने हेरहंज प्रखण्ड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण" शीर्षक से छपी खबर के आलोक में लातेहार उपायुक्त प्रमोद गुप्ता ने बुधवार 17.01.2018 को हेरहंज प्रखण्ड मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने मनिका-हेरहंज पथ निर्माण कार्य की जाँच की इसमें अनियमितता देख भड़क गये उन्होनें गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण की बात कही। ज्ञातव्य हो कि उक्त पथ के निर्माण में संवेदक द्वारा 130/-रूपये से लेकर 150/-रू0 तक ही मजदूरी दिया जा रहा है। किसानों के जमीन के मुआवजा की राशि का भी भुगतान नहीं किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सड़क के निर्माण में घटिया पत्थर, मोरम, अलकतरा आदि लगाये जाने का विरोध विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मनिका-हेरहंज पथ के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच कराने एवं दोषी संवेदक, अभियंता पर सरकारी राशि के बंदरबाँट करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर सरकारी राशि वसूल करने एवं किसानों के जमीन के मुआवजा का भुगतान करने तथा मजदूरों को उचित मजदूरी देने हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट कराते हैं।	पथ निर्माण

01.	02.	03.	04.
05-	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता एवं श्री आलोक कुमार चौरसिया स0वि0स0	पलामू जिला लाह उत्पादन केन्द्र के नाम से जहाँ एक इसकी पहचान थी जिस पर सरकार का ध्यान नहीं रहने के कारण प्रायः मृत सा हो गया है। काफी अथक प्रयास से सहकारिता विभाग से निबंधित ऋद्धि-सिद्धि प्राथमिक लाह उत्पादक सहयोग समिति लि0 कुन्दरी (लेस्लीगंज) पलामू के द्वारा अथक प्रयास से विरान हो चुके लाह बगान को पुनः पुनरजीवित करने का प्रयास किया गया है। तथा राज्य का प्रथम हर्बल गुलाल का उत्पादन किया जा रहा है। वन विभाग के द्वारा पूरे जिले में संयुक्त वन प्रबंधन समिति बनी हुई है, परन्तु कई वर्षो से निष्क्रिय है। जिसे और सक्रिय किये जाने की जरूरत है। पलामू के लेस्लीगंज के ग्राम-कुन्दरी लाह बगान विगत 40 वर्षो से मृत हो चुका है को पुनः पुनरजीवित करने का प्रयास ऋद्धि-सिद्धि प्राथमिक लाह उत्पादक सहयोग समिति लि0 के सहयोग से किये जा रहे कार्य काफी सराहनीय है। जिसके लिए ग्रामीणों की मुख्य माँग सरक्षण एवं दोहन का अधिकार ग्रामीणों को वृक्ष पट्टा के रूप में आवंटित करने तथा उत्पादनों में वृद्धि एवं वनों का विस्तार एवं उसकी सुरक्षा कैसे हो तथा ग्रामीण सीधे तौर पर लाभान्वित हो यदि सरकार लाह संबंधी उद्योगों की स्थापना करती है तथा हर्बल गुलाल के उत्पादन का बढ़ावा देती है तो हजारों बे-रोजगार युवकों के हाथों काम मिल सकता है तथा इसे रोजगार से जोड़ा जा सकता है। सदन के माध्यम से सरकार को अवगत करना चाहता हूँ कि सहकारिता विभाग से निबंधित ऋद्धि-सिद्धि प्राथमिक लाह उत्पादक सहयोग समिति लि0 कुन्दरी (लेस्लीगंज) पलामू को सरकार के द्वारा हर संभव मदद	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता

01.	02.	03.	04.
		मिले तो वनों की सुरक्षा/लाह उत्पादन को बढ़ाया एवं हर्बल गुलाल के उत्पादनों पर लघु क्षेत्र के रूप में झारखण्ड प्रदेश को विकसित किया जा सकता है, इसके लिए मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहते हैं।	

राँची,
दिनांक- 29 जनवरी, 2018 ई0।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2018-1077/वि0 स0, राँची, दिनांक-25/01/18

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/ग्रामीण विकास विभाग/उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग/राजस्व निबंधन एवं भूमि सूधार विभाग/पथ निर्माण विभाग एवं कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2018-1077/वि0 स0, राँची, दिनांक-25/01/18

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

25/01/18